न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जोबनेर, जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी – सुनीता मीणा R.A.S.

राजस्व वाद संख्या :– 31/ 2023 **दायर तारीख :– 21.03.2023**

1. गोपाल पुत्र बाबूलाल
2. कमलेश पुत्र बाबूलाल
3. रामपाल पुत्र बाबूलाल
4. प्रभूदयाल पुत्र चन्दाराम
   समस्त जाति बलाई नि0 भैंसावा तहसील जोबनेर जिला जयपुर राज.
5. सुमन पुत्री बाबूलाल पत्नि ओमप्रकाश जाति बलाई नि0 रोजदा तहसील आमेर जिला जयपुर
6. तीजादेवी पत्नि चन्दाराम (फौत)
   6/1 गुलाबदेवी पुत्री चन्दाराम पत्नि जीवणराम
   6/2 विमलादेवी पुत्री चन्दाराम पत्नि दूलाराम
   समस्त जाति बलाई नि0 मेदपुरा तहसील जोबनेर जिला जयपुर राज.

वादीगण

बनाम

1. ग्यारसीदेवी पत्नि कन्हैयालाल जाति बलाई नि0 भैंसावा तहसील जोबनेर जिला जयपुर राज.
2. मूलचन्द पुत्र पन्ना (फौत)
   2/1 बनवारीलाल वर्मा पुत्र मूलचन्द
   2/2 ओमप्रकाश वर्मा पुत्र मूलचन्द
   2/3 प्रेमप्रकाश वर्मा पुत्र मूलचन्द
   समस्त जाति बलाई नि0 भैंसावा तहसील जोबनेर जिला जयपुर राज.
   2/4 नारायणीदेवी पुत्री मूलचन्द पत्नि हेमराज जाति बलाई नि0 भोजपुरा कला तहसील जोबनेर जिला जयपुर
   2/5 संतोषदेवी उर्फ कौशल्यादेवी पुत्री मूलचन्द पत्नि मूलचन्द (फौत)
   2/5/1 सीमा पुत्री मूलचन्द
   2/5/2 सुनीता पुत्री मूलचन्द
   2/5/3 कविता पुत्री मूलचन्द
   2/5/4 महेन्द्र पुत्र मूलचन्द
   समस्त जाति बलाई नि0 भोजपुरा तहसील जोबनेर जिला जयपुर
3. मालीदेवी पत्नि रामचन्द्र जाति बलाई नि0 जाहोता तहसील आमेर जिला जयपुर
4. रतनलाल पुत्र कन्हैयालाल जाति बलाई नि0 भैंसावा तहसील जोबनेर जिला जयपुर
5. सरकार जरिये तहसीलदार तहसील जोबनेर जिला जयपुर
6. उप पंजीयक जोबनेर तहसील जोबनेर जिला जयपुर राज.

प्रतिवादीगण

वाद बाबत विभाजन व स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थित :– श्री राजेश कुमार वर्मा, अधिवक्ता वादीगण
श्री रामावतारसिंह, अधिवक्ता प्रतिवादी सं0 1 व 4
श्री इलियास बाबू, अधिवक्ता प्रतिवादी सं0 2/4, 2/5/1 लगा0 2/5/4

निर्णय

निर्णय दिनांक 26.03.2025

1. वादीगण ने वादपत्र पेश कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम भैंसावा प0ह0 भैंसावा भू0अ0नि0क्षे0 करणसर तहसील जोबनेर जिला जयपुर राज. में स्थित कृषि भूमि खाता सं0 नया 371 पुराना 336 के खं0नं0 522/1 रकबा 2.0232 हैक्टर, खं0नं0 523 रकबा 0.0632 हैक्टर, खं0नं0 525 रकबा 1.8841 हैक्टर, खं0नं0 527 रकबा 4.4258 हैक्टर किता 4 कुल रकबा 8.3963 हैक्टर में वादी सं0 1 का 1/36 हिस्सा, वादी सं0 2 का 1/36 हिस्सा, वादी सं0 3 का 1/36 हिस्सा, वादी सं0 4 का 1/9

उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर, जयपुर

हिस्सा, वादी सं0 5 का 1/36 हिस्सा, वादी सं0 6/1 व 6/2 का 1/9 हिस्सा निहित है तथा शेष हिस्सा प्रतिवादीगण के नाम राजस्व अभिलेख जमाबन्दी अनुसार दर्ज है। वाद अधीन कृषि भूमि का विधिक विभाजन नहीं हुआ है इसलिए वादीगण एवं प्रतिवादीगण संयुक्त रूप से उक्त वर्णित रकबा भूमि पर निरन्तर काबिज चले आ रहे है। वादीगण ने समय समय पर प्रतिवादीगण को वाद अधीन कृषि भूमि का मीट्स एण्ड बोन्डस के आधार पर विधिक विभाजन करवाने हेतु कहा। पूर्व में तो प्रतिवादीगण बाई मिट्स एण्ड बोन्डस के आधार पर विभाजन करवाने हेतु हामी भरते रहे, परन्तु हाल ही में भूमि के विभाजन हेतु इंकार कर दिया ओर प्रतिवादीगण वादअधीन कृषि भूमि का विधिक विभाजन करवाये बिना ही वादग्रस्त आराजी को विक्रय हस्तान्तरण, खुर्द–बुर्द करने हेतु उतारू हो गये। कृषि भूमि का विधिक विभाजन नहीं हुा है इसलिए प्रतिवादीगण को वाद अधीन कृषि भूमि के विशिष्टि भू–भाग पर निर्माण कार्य करने, विक्रय, हस्तान्तरण, खुर्द बुर्द करने एवं वादीगण को उसके भू–भाग से बेदखल करने के कोई विधिक अधिकार हासिल नहीं है विधिक घोषणा, विभाजन की डिक्री बहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण इस आशयकी जारी फरमाई जावे कि वादग्रस्त आराजीयात में उल्लेखित राजस्व ग्राम भैंसावा तहसील जोबनेर जिला जयपुर की सरहद में कृषि भूमि ख0नं0 522/1 रकबा 2.0232 हैक्टर, ख0नं0 523 रकबा 0.0632 हैक्टर, ख0नं0 525 रकबा 1.8841 हैक्टर, ख0नं0 527 रकबा 4.4258 हैक्टर किता 4 कुल रकबा 8.3963 हैक्टर में वादी सं0 6/1 व 6/2 कसे 1/9 हिस्से का खातेदारी काश्तकार घोषित किया जाकर वादीगण के हिस्से की भूमि का बाई मिट्स एण्ड बोन्डस के आधार पर विधिक विभाजन किया जाकर उक्त भूमि में वादीगण के निहित हिस्सा को वादीगण की पृथक खातेदारी में दर्ज किया जाकर वादीगण के हिस्से का राजस्व लगान व राजस्व नक्शा पृथक खातेदारी में दर्ज किया जाकर वादीगण के हिस्सें का राजस्व लगान एवं राजस्व नक्शा पृथक किया जावें इसलिए वादीगण ने अपने अधिकारों की सुरक्षा हेतु उक्त वाद मान्य न्यायालय में पेश किया है।

2. वादपत्र बाद जांच दर्ज पंजिका कर प्रतिवादीगण की तलबी की गई। प्रतिवादी सं0 3, 5 व 6 बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने के कारण इनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी जाती है। प्रतिवादी सं0 1 व 4 की ओर से अधिवक्ता श्री रामावतार सिंह ने उपस्थित होकर इकबालिया जवाब पेश करते हुए वादीगण के वाद को स्वीकार करते हुए तकासमा करवाने में सहमति जाहिर की। प्रतिवादी सं0 2/1 लगा0 2/4, 5/1 लगा0 2/5/4 की ओर से अधिवक्ता श्री इलियास बाबू रंगरेज द्वारा जवाब पेश किया गया।
3. प्रकरण दिनांक 04.12.2024 को प्राथमिक रूप से डिक्री किया गया तथा तहसीलदार जोबनेर से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के राजस्व मण्डल के नियम 18 से 21 अनुसार कुर्रेजात रिपोर्ट प्राप्त की गई।
4. बहस उभय पक्ष व पैरोकार सरकार को सुना गया।
5. पत्रावली, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों, विधि के सुसंगत प्रावधानों का अवलोकन किया गया तथा मनन किया गया। मुताबिक वकील पक्षकारान की ओर से नक्शें कुरेजात पर कोई आपति व्यक्त न करते हुए मुताबिक नक्शें कुरेजात वाद अन्तिम डिक्री किये जाने का निवेदन किया है पत्रावली एंव नक्शें कुरेजात का अवलोकन किया गया तथा बहस पर मनन किया गया। मनन् उपरान्त यह न्यायालय वादीगण का वाद मुताबिक नक्शें कुरेजात अन्तिम डिक्री किया जाना न्यायोचित समझता है। इसी अनुसार वाद अन्तिम डिक्री किया जाता है।

<u>क्रियात्मक आदेश</u>

वादीगण का वादपत्र मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट डिकी किया जाता है। कुर्रेजात रिपोर्ट मय नक्शा ट्रेस निर्णय एवं डिक्री का भाग रहे। पक्षकारान के मध्य निम्नानुसार राजस्व रिकार्ड अनुसार तकासमा कर खातेदार काश्तकार घोपित किया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर, जयपुर

वाकै ग्राम भैंसावा तह0 जोबनेर जिला जयपुर राज0

क्र.सं.	नाम खातेदार	खसरा नम्बर/रकबा
1	मूलचन्द पुत्र पन्ना हिस्सा सम्पूर्ण जाति बलाई सा0देह0 खातेदार राहिन हिस्सा सम्पूर्ण एस.बी.आई भैंसावा	525/ए रकबा 0.9610 हैक्टर 527/ए रकबा 1.1380 हैक्टर 522/1/बी रकबा 0.6400 किता 3 कुल रकबा 2.7390 हैक्टर
2	तीजा पत्नि चन्दाराम हिस्सा 1/3 प्रभूदयाल पुत्र चन्दाराम हिस्सा 1/3 राहिन एस.बी.आई. भैंसावा कमलेश पुत्र बाबूलाल हिस्सा 1/12 गोपाल पुत्र बाबूलाल हिस्सा 1/12 रामपाल पुत्र बाबूलाल हिस्सा 1/12 राहिन हिस्सा सम्पूर्ण एस.बी.आई भैंसावा नाबालिग सुमन पुत्री बाबूलाल सरंक्षक चाचा प्रभूदयाल हिस्सा 1/12 सर्व जाति बलाई सा0देह0 खातेदार	527/बी रकबा 1.3213 हैक्टर 525/बी रकबा 0.4650 हैक्टर 522/1/ए रकबा 0.9527 हैक्टर किता 3 कुल रकबा 2.7390 हैक्टर
3	ग्यारसीदेवी पत्नि कन्हैयालाल हिस्सा 1/3 जाति बलाई सा0देह0 खातेदार रतनलाल पुत्र कन्हैयालाल हिस्सा 1/3 जाति बलाई सा0देह0 खातेदार मालीदेवी पत्नि रामचन्द हिस्सा 1/3 जाति बलाई सा0 ग्राम जाहोता तहसील आमेर	525/सी रकबा 0.4581 हैक्टर 527/डी रकबा 0.6800 हैक्टर 527/ई रकबा 1.2012 हैक्टर 522/1/डी रकबा 0.3997 हैक्टर किता 4 कुल रकबा 2.7390 हैक्टर
4	सामलात भूमि (हिस्सा जमाबन्दी संवत् 2078 स्थाई अनुसार)	523 रकबा 0.0632 हैक्टर 527/सी रकबा 0.0853 हैक्टर 522/1/सी रकबा 0.0308 हैक्टर किता 3 कुल रकबा 0.1793 हैक्टर

तहसीलदार जोबनेर को आदेश दिये जाते हैं कि राजस्व रिकार्ड में राजस्व रिकार्ड एवं प्रस्तुत कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार आवश्यक अमल–दरामद करें, लगान दर अनुसार लगान कायम करें। बैंक रहन संबंधित खातेदार को प्राप्त होने वाले खसरा नम्बर/रकबा के विरूद्ध दर्ज किया जावे। पर्चा डिकी तहरीर होवे।

निर्णय दिनांक 26.03.2025 को मजमा–ए–आम में सुनाया गया।

(सुनीता चौधरी) आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर

उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर, जयपुर